FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0207 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 21/07/2026 20:32 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 16/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 20/07/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 19:00 बजे **Time To (समय तक):** 17:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 21/07/2026 **Time (समय):** 00:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 21/07/2026 20:32:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 80 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** KASBA DHANAU, TEHASIL DHANAU JILA BADMER

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** LATEEF KHAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SUMAR KHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1994 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PATELO KI DHANI,GRAM ITADA, DHANAU, BARMER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	PATELO KI DHANI,GRAM ITADA, DHANAU, BARMER, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANJAY KUMAR MEENA		पिता:SHANKAR LAL	1. BANETHI,KOTPUTALI, कोटपूतली-बहरोड़,RAJASTHAN, INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर। विषय- श्री संजयकुमार मीणा पटवारी, पटवार हल्का ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर द्वारा रिश्वत मांगने पर कानूनी कार्यवाही कराने बाबत्। महोदय, अरज एक प्रार्थी लतीफ पुत्र सुमार, जाति मुसलमान, उम्र 32 वर्ष, पैशा खेती-बाड़ी, निवासी ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर की यह हैं कि मेरे व मेरे भाई कायम खां के नाम से ग्राम ईटादा में कृषि भूमि खेत खसरा सं. क्रमशः 2262/2208 व 2260/2208 आया हुआ हैं, इसमें से हम दोनों भाईयों ने क्रमशः 0.3445 व 0.1082 हैक्टेयर भूमि कामर्षियल कन्वर्जन कराने हेतु दिनांक 07.07.2026 को आनलाईन आवेदन किया था, जिस पर तहसीलदार धनाऊ ने मौका जांच हेतु दिनांक 14.07.2026 को पटवारी, हल्का ईटादा के नाम आदेश क्रमांक 288 व 287 जारी किया, इससे पहले मेरे द्वारा ओनलाईन आवेदन करने के तीन-चार दिन बाद दिनांक 10.07.2026 को पटवारी श्री संजयकुमार मीणा मौके पर आया व मौका निरीक्षण में कन्वर्जन कराने की अग्रिम कार्यवाही में सहयोग की ऐवज में 50,000 रू. रिश्वत की मांग की, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने मना कर दिया, तो उसने कहा कि बिना पैसे मैं तेरे दोनों आवेदनों को निरस्त करवा दूंगा, कहकर वो शिविर में ग्राम कितनोरिया चला गया, जिस पर मैं पैसों की व्यवस्था कर उसके पीछे कितनोरिया गया, तो वहां शिविर में ही एक तरफ ले जाकर मेरे से 50,000 रू. ले लिये, उसके बाद तहसीलदार द्वारा उसके नाम आदेश दिनांक 14.07.2026 के बाद आज दिन में ग्राम धनाऊ स्थित किराये के रूम पर पटवारी से मिलने गया व मेरे काम का कहा तो उसने मेरे से ओर 25000 रू. रिश्वत की मांग की, व कहा कि इसके बिना आपका काम आगे नहीं बढेगा, जिस पर मैंने इस बारे में भाई कायम से बात की, और बाद चर्चा के हम दोनों भाई ने भ्रष्ट पटवारी संजयकुमार मीणा को ओर रिश्वत नहीं देने का निर्णय कर एसीबी से कार्यवाही हेतु मेरे भाई ने मुझे अधिकृत किया, हम दोनों भाई पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहते हैं, उसे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहते हैं। हमारी उक्त पटवारी से कोई रंजिश व रूपये-पैसों की कोई लेनदेन बकाया नहीं हैं। अतः रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावें। दिनांक- 16.07.2026 -एस.डी.-गवाह प्रकाशचन्द्र/20.07.2026 -एस.डी.-गवाह श्री तनुराम/20.07.2026 -एस.डी.- नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवदीय -एस.डी.- लतीफ पुत्र सुमार, जाति मुसलमान, उम्र 32 वर्ष, पैशा खेती-बाड़ी, निवासी ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर मोबाईल नं. कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि उपरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट दिनांक 16.07.2026 वक्त 0700 पी.एम. पर प्रार्थी श्री लतीफ खान पुत्र श्री सुमार खान, जाति मुसलमान, उम्र 32 वर्ष, पैशा खेती-बाड़ी, निवासी पटेलों की ढाणी ग्राम ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर ने ब्यूरो कार्यालय बाड़मेर पर उपस्थित होकर मन् नरेन्द्र कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष अपने आधार कार्ड एंव भूमि आवेदन की स्व-प्रमाणित प्रतियों के पेश कर तकरीरन दरियाफ्त पर रिपोर्ट अपनी स्व-कलमी व इसमें उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 को कार्यालय में तलब किया जाकर परिवादी श्री लतीफ खान से परस्पर परिचय करवाया जाकर दोनों के मोबाईल नम्बरो का परस्पर एक-दूसरे को आदान-प्रदान करवाकर दोनों को आपसी सम्पर्क बनाये रखने की हिदायत की गई। तत्पश्चात कार्यालय अलमारी से डिजीटल वोयस रिकार्डर निकालकर इसे आपरेट करने बाबत् हाजिर परिवादी एंव कानि. मनोहरराम को अच्छी तरफ समझाईश की गई, ताबाद डिजीटल वोयस रिकार्डर में एक नया खाली मैमोरी कार्ड SANDISK 08 GB इन्सट्रोल कर अग्रिम सत्यापन कार्यवाही हेतु श्री मनोहरराम कानि. न. 37 को सुपुर्द कर परिवादी श्री लतीफ खान के साथ धनाऊ-ईटादा जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर हाजिर परिवादी श्री लतीफ खान ने कहा कि अब रात्रि काफी हो चुकी हैं, आरोपित पटवारी कस्बा धनाऊ में किराये के मकान पर रहता हैं, ग्राम ईटादा में कम ही आता हैं, जो कल दिनांक 17.07.2026 को प्रातः अपने रूम पर मिल जायेगा, इसलिए कल सुबह ही वार्ता करना उचित रहेगा। जिस पर श्री मनोहरराम कानि. नं. 37 उक्तानुसार कल प्रातः मय डिजीटल वोयस रिकार्डर एंव इन्सट्रोल सुदा मैमोरी कार्ड के कस्बा धनाऊ पंहुच परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम मांग सत्यापन कार्यवाही कराने बाबत् निर्देशित किया गया। परिवादी श्री लतीफ खान को कल प्रातः उक्तानुसार कस्बा धनाऊ में उपस्थित रहने एंव कानि. मनोहर राम के निरन्तर सम्पर्क में रहने तथा प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर फारिक किया गया। चूंकि कल प्रातः जल्दी श्री

मनोहरराम कानि. को रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु जाना हैं, लिहाजा डिजीटल वोयस रिकार्डर मय इन्सट्रोल सुदा मैमोरी कार्ड के खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत की जाकर अपने आवास से सीधे ही रिश्वती राशि मांग सत्यापन हेतु जाने बाबत् निर्देशित किया गया। दिनांक 17.07.2026 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुए श्री मनोहर राम कानि. नं. 39 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को वाटसएप कोल कर अवगत करवाया कि निद्रेशानुसार रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हेतु ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के आज प्रातः 600 ए.एम. पर बाड़मेर से रवाना होकर धनाऊ चैराहा पर पहुचा, यहां पर परिवादी श्री लतीफ खान उपस्थित मिला, जिसके माध्यम से आरोपित श्री संजयकुमार मीणा पटवारी की उपस्थिति के बारे में मालुमात करने पर हाईस्कूल धनाऊ के सामने स्थित किराये के आवासीय रूम पर होना जानकारी में आया, जिस पर आरोपित के उक्त किराये के आवास के पास पहुंच रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर उक्त वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड करवाने बाबत डिजिटल टेप रिकार्डर को आपरेट करने की परिवादी से समझाईश कर डिजिटल टेप रिकोर्डर में नया मेमोरी कार्ड लगाकर डिजिटल टेप रिकार्डर ओन कर परिवादी श्री लतीफ खान को सुपूर्द कर आरोपित के किराये के आवास पर भेजा, एवं मुझ कानि0 अपनी उपस्थिति छुपाते हुए वहीं आस-पास गोपनीय रूप से मुकीम रहा। करीबन 20-22 मिनट पश्चात परिवादी पुनः मेरे पास नियत स्थान पर आया, जिनसे डिजिटल टेप रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ओफ कर स्वयं के कब्जे में लिया एवं रिश्वत राशि मांग सत्यापन के हालात पूछने पर परिवादी ने बताया कि पटवारी अपने आवास पर उपस्थित मिला, जिनसे मेरे व मेरे भाई के भूमि कन्वर्जन की मौका रिपोर्ट बनाने एंव कन्वर्जन की अग्रिम कार्यवाही में सहयोग करने के संबध में वार्ता करने पर पटवारी ने 20,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर 5000 रू. बातचीत के दोरान ले लिये, एंव शेष 15000 रू. सोमवार दिनांक 20.07.2026 को लिया जाना तय किया, तथा वार्ता के दोरान आरोपित पटवारी द्वारा परिवादी से उनके व उनके भाई के आवेदन संबधित दस्तावेजात ले लिये, इत्यादि वार्ता को परिवादी द्वारा डिजीटल वोयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया हैं। साथ ही कानि. मनोहरराम ने यह भी बताया कि परिवादी रिश्वती राशि की व्यवस्था हेतु पीछे रूकना चाहता हैं, जिस पर प्रकरण में गोपनीयता बरतने एंव आरोपित पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि की व्यवस्था कर सूचित करने बाबत् परिवादी को निर्देशित करवाकर पीछे छोड़ने की ईजाजत दी गई, तथा कानि. को मय डिजीटल वोयस रिकार्डर अतिशीघ्र ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने बाबत् निर्देशित किया गया। साथ ही कानि. श्री मनोहरराम के मोबाईल वाटसएप कोल पर ही परिवादी श्री लतीफ खान से वार्ता कर अग्रिम कार्यवाही बाबत् आवश्यक हिदायत पृथक से की गई। जिस पर उसी रात्रि को श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 ने कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर डिजीटल वोयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के उपरोक्त हालातों से पुनः जबानी अवगत करवाया, जिस पर डिजिटल टेप रिकार्डर ओन कर उक्त रिकोर्डिंग मांग सत्यापन वार्ता को सुनने पर परिवादी द्वारा पूर्व में श्री मनोहरराम कानि. को बताये तथ्यों की ताईद होते हुए आरोपित पटवारी द्वारा परिवादी से उनके व उनके भाई भूमि कन्वर्जन की मौका रिपोर्ट बनाने एंव इस कन्वर्जन कार्य में आगे सहयोग करने की ऐवज में 20,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर वक्त सत्यापन 5000 रू. प्राप्त करना, एंव शेष 15000 रू. दिनांक 20.07.2026 को लिया जाना तय करना पाया गया। आईन्दा परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट् मुर्तिब की जायेगी। डिजिटल टेप रिकार्डर को मय मैमोरी कार्ड के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं की अलमारी में सुरक्षित रखा गया एवं श्री मनोहर राम कानि. नं. 39 को परिवादी से अग्रिम कार्यवाही बाबत निरन्तर सम्पर्क में रहने की हिदायत की गई। इस समय तक की कार्यवाही के सम्बन्ध में श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो जोधपुर से हालात निवेदन किये गये। दिनांक 19.07.2026 को श्री मनोहर राम कानि. ने बताया कि आज परिवादी श्री लतीफ खान ने जरिये वाट्सअप कोल अवगत करवाया कि मैंने रिश्वती राशि 15000 रू. की व्यवस्था कर ली हैं, कल दिन में श्री संजयकुमार मीणा पटवारी के कहेनुसार वो मेरे से रिश्वती राशि लेगा, इसलिए कल प्रातः आप किसी भी हालत में धनाऊ पंहुचो, जिस पर परिवादी को कल प्रातः एसीबी कार्यालय में मय रिश्वती राशि के उपस्थित आने बाबत् पुनः कहलवाया गया, तो परिवादी ने घर पर आवश्यक कार्य में व्यस्त होने से बाड़मेर तक आने में असमर्थता जाहिर की, जिस पर परिवादी को मय रिश्वती राशि के कस्बा धनाऊ से करीब दो किलोमीटर बाड़मेर की तरफ नियत स्थान पर मय रिश्वती राशि के कल प्रातः 1000 पर उपस्थित मिलने की हिदायत करवाई गई। आरोपित पटवारी के विरूद्ध दिनांक 20.07.2026 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया गया। कार्यालय एच.एम. श्री सुराब खां को ट्रेप की माकुल तैयारी करने एंव चोकी स्टाफ को कल प्रातः 0800 ए.एम. पर उपस्थित आने बाबत् निर्देशित करवाया गया। दिनांक 20.07.2026 को प्रातः नियत समय पर निद्रेशानुसार ब्यूरो जाब्ता चोकी हाजा पर उपस्थित आया, श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 को सी.एम. एण्ड एच.ओ. बाड़मेर के नाम तेहरीर मुर्तिब कर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी कर लाने हेतु मय तेहरीर के रवाना सी.एम.एच.ओ. कार्यालय बाड़मेर भेजा गया। जो कुछ समय पश्चात मय गवाहान के उपस्थित आया, दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिचय पूछा तो उन्होनें अपना-अपना परिचय क्रमशः श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री अणदाराम, जाति मेगवाल, उम्र 35 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी नागणेशिया ढूंढा, पुलिस थाना नागाणा, जिला बाड़मेर, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर, मोबाईल नं. व श्री तनुराम पुत्र श्री नाथाराम, जाति मेगवाल, उम्र 36 वर्ष, निवासी

ग्राम पादरिया, तहसील रामसर, जिला बाड़मेर, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर, मोबाईल नं. के रूप में दिया। तत्पश्चात प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के सम्बन्ध में ब्यूरो स्टाफ एंव स्वतन्त्र गवाहान को समझाईश की गई, साथ ही ट्रेप कार्यवाही में राजकीय वाहन के अलावा एक अन्य वाहन की आवश्यकता होने से श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 के माध्यम से एक प्राईवेट वाहन की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस, ब्यूरो जाब्ता श्री देवाराम निरीक्षक पुलिस, श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री सोहनराम हैड कानि. नं. 33, श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38, श्री लालाराम कानि. 328, श्री मनोहर कानि. नं. 39, श्री बांकाराम कानि. 584, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रकषचन्द्र वरिष्ठ सहायक व श्री तनुराम वरिष्ठ सहायक के चोकी हाजा के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. पवनकुमार एवं एक अन्य प्राईवेट वाहन से प्रकरण हाजा की पत्रावली, डिजिटल वोइस रिकोर्डर मय मेमोरी कार्ड, लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बोक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री तथा आवश्यकतानुसार एक कागजी पुड़िया में फिनोफ्थलीन पाऊडर अलग से लिया जाकर श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द करवाकर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना भ्रनिब्यूरो कार्यालय बाड़मेर से धनाऊ की तरफ रवाना हुआ। श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 के माध्यम से परिवादी श्री लतीफ खान को मय रिश्वती राशि 15000 रू. के पूर्व निर्धारित समय पर कस्बा धनाऊ से दो किलोमीटर बाड़मेर की तरफ नियत स्थान पर पंहुचने हेतु पुनः जरिये वाटसएप कोल निर्देशित करवाया जाकर रवाना सुदा ग्राम धनाऊ में परिवादी को बताए गए नियत स्थान पर पंहुचा, जहां पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री लतीफ खान उपस्थित मिला, व बताया कि आरोपित पटवारी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 15000 रू. साथ लेकर आया हूं। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर हाजिर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री प्रकाशचन्द्र वरिष्ठ सहायक व श्री तनवुराम वरिष्ठ सहायक का हाजिर परिवादी श्री लतीफ खान से परस्पर परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 16.04.2026 को आरोपित पटवारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट दोनों गवाहान को पढकर सुनाई गई एंव पढने हेतु दी जाकर डिजीटल वोयस रिकार्डर में रिकोर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के सत्यापन संबधित महत्वपूर्ण अंशो/वाक्यांश को टेप रिकोर्डर ओन व रिवर्स-फारवर्ड कर सुनाया गया। दोनों गवाहान द्वारा भी हाजिर परिवादी से रिपोर्ट के संबध में पूछताछ कर बाद तसल्ली के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर करते हुए इस कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति दी गई। तत्पश्चात दोनों मौतबिरान के रूबरू मन् नरेन्द्रकुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो बाड़मेर द्वारा परिवादी श्री लतीफ खान से आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी, पटवार हल्का ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 15,000/- रूपये पेश करने का कहने पर परिवादी श्री लतीफ खां ने भारतीय मुद्रा के 500-500 रू. के 30 नोट, कुल राशि 30,000 रू. रूबरू गवाहान अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये, जिनके नम्बर निम्नानुसार हैं। 1 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 WL 555101 2 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 ST 062657 3 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 BP 433325 4 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 SP 675357 5 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 AF 916549 6 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 FP 585159 7 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 EA 494790 8 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 SG 613275 9 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 HL 326043 10 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 VB 793983 11 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 FL 119055 12 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 SH 679125 13 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 CE 238675 14 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 MG 900889 15 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 KB 448042 16 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 DF 833500 17 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 6 AL 006873 18 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 VF 741473 19 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 7 DC 680740 20 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 DM 340368 21 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 FH 235492 22 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 EW 138967 23 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 2 NA 048234 24 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 5 CE 417187 25 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 1 CP 921972 26 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 9 DC 404862 27 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 0 VW 228805 28 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 3 NS 724494 29 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 KH 533298 30 एक नोट पांच सौ रुपये का नम्बरी 4 KE 005715 चोकी हाजा से वक्त रवानागी कार्यालय हाजा के मालखाना से हमराह जाब्ता के श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक के साथ लाई गई फिनोफ्थलीन पाऊडर की पुड़िया मंगवाई जाकर श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक से ही उक्त 15000 रू. के सभी नोटों को राजकीय वाहन के पिछली सींट पर बिछाये गये एक अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर उक्त राशि के प्रत्येक नोट पर लगवाया गया। परिवादी श्री लतीफ खान की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री तनुराम वरिष्ठ सहायक से लिवाई जाकर उसके पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। परिवादी का मोबाईल उसके पास रहने दिया गया, उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नोटों को परिवादी श्री लतीफ खान के पहनी हुई शर्ट की ऊपरी बांयी जेब में श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर उसे स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता के समक्ष हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ, आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर उसे देवे तथा आरोपी से

हाथ नहीं मिलावे। साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं, या छुपाता हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेर कर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात प्लास्टिक की एक डिस्पोजल साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी एंव जाब्ता को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों एवं अगुठों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया-प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर गिलास के गुलाबी घोल को फिंकवाया जाकर डिस्पोजल गिलास व रिश्वती राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु प्रयुक्त अखबार एंव बचे हुए फिनोफ्थलीन पाउडर की पुड़िया को जलाकर नष्ट करवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो-दो े बार धुलवाया गया। फिर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ब्यूरो दल एवं गवाहान ने अपना-अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक को ट्रेप में धोवन की कार्यवाही तक वहीं से फाॅरिक किया गया एंव बाद धोवन कार्यवाही के सूचित करने पर निद्रेशानुसार पुनः ट्रेप दल में सम्मलित होने हेतु निर्देशित किया गया। इस कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोफथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर इस पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस मय हमराहियान परिवादी श्री लतीफ खान को हमराह लेकर रवाना सरहद धनाऊ से मौका स्थल हाई स्कूल धनाऊ के सामने स्थित आरोपित श्री संजयकुमार मीणा पटवारी के किराये के आवासीय मकान के पास पंहुचा, आस-पास की लोकेशन का गोपनीय रूप से नजरी अवलोकन कर हमराह जाब्ता, परिवादी एंव गवाहान को प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही के संबध में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात हमराह जाब्ता के अपनी-अपनी उपस्थिति एंव आरोपित पर नजर रखने बाबत् स्थान का निर्धारण कर हमराह जाब्ता के श्री मनोहर राम कानि. नं. 39 व श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को एडवांस पार्टी के तोर पर मामुर कर श्री मनोहर राम कानि. नं. 39 को डिजीटल वोयस रिकार्डर मय इन्स्ट्रोल सुदा नये मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी के कहेनुसार मौका स्थल के पास मौजूद रहकर आरोपित पर कड़ी निगरानी रखने एंव आरोपित के द्वारा रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की रिकोर्डिंग हेतु डिजीटल वोयस रिकार्डर मय इन्स्ट्रोल सुदा मेमोरी कार्ड के ओन कर परिवादी श्री लतीफ खान को सुपुर्द करने बाबत् मुनासिफ हिदायत की गई। साथ ही परिवादी को एडवांस पार्टी के दोनों सदस्यों श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 व श्री बांकाराम कानि. नं. 584 के सत्त सम्पर्क में रहते हुए लेन-देन पश्चात गोपनीय ईशारा करने बाबत् निर्देशित किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष समस्त हमराहियान के मौका स्थल के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुए गोपनीय रूप से मुकीम रहकर परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुए। कुछ समय बाद एडवांस पार्टी में मामुरा श्री मनोहर राम कानि. नं. 39 ने बताया कि परिवादी अपनी स्वयं की मोटर साईकिल पर बिना कोई ईशारा किये धनाऊ गांव से आगे सेड़वा की तरफ निकल गया हैं, जिसने कोल कर बताया कि आरोपित श्री संजय कुमार मीणा पटवारी अपनी गाडी नं. 2988 में बैठकर ग्राम मिठड़ाऊ की तरफ निकल गया हैं, जिसने जाते-जाते मुझे बताया कि वो 400-430 पी.एम. तक वापस आ जायेगा, तब तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करो, जिस पर एडवांस पार्टी के श्री मनोहर कानि. 39 व श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को परिवादी के हमराह कस्बा धनाऊ में ही वहीं आरोपित के किराये के आवासीय मकान के आस-पास आरोपित पटवारी की वापसी पर नजरें रखते हुए गोपनीय रूप से मुकीम रहने एंव मन् एएसपी मय हमराहियान कस्बा धनाऊ से धोरीमन्ना रोड़ पर कुछ दूरी पर जाकर मुकीम हुए। एडवांस पार्टी को हिदायत की गई कि आरोपित पटवारी की उसके किराये के मकान पर वापसी की सूरत में परिवादी को लेन-देन कार्यवाही हेतु भेजकर अविलम्ब करावें। जिस पर कुछ समय बाद एडवांस पार्टी के श्री मनोहर राम कानि. ने बताया कि परिवादी ने अपने स्तर पर मालुमात कर अभी-अभी बताया कि आरोपित पटवारी अपने किराये आवासीय मकान पर अब से करीबन आधा घण्टा पूर्व आ चुका हैं, जिस पर कानि. मनोहराराम को परिवादी को मय डिजीटल वोयस रिकार्डर लेन-देन कार्यवाही हेतु आरोपित पटवारी के आवास पर भेजने एंव बाद लेन-देन गोपनीय ईशारा प्राप्त करने बाबत् मुनासिब हिदायत कर मन् एएसपी मय हमराहियान वेटिंग स्थान से रवाना होकर आरोपित के आवास के ईद-गिर्द पंहुच गोपनीय रूप से मौजूद रहकर परिवादी/एडवांस पार्टी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में व्यस्त हुआ। तत्पश्चात वक्त 0500 पी.एम. पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री लतीफ खान ने कस्बा धनाऊ में हाईस्कूल के सामने स्थित आरोपित श्री संजयकुमार मीणा पटवारी के आवासीय मकान के बाहर आकर ट्रेप दल के एडवांस पार्टी के सदस्यों की ओर देखते हुए पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने सिर पर दो-तीन बार हाथ फेरकर एडवांस पार्टी में मामुरा हमराह

जाब्ता के श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 व श्री बांकाराम कानि. नं. 584 को कर रिश्वत राशि लेन-देन होने की सूचना दी, जिसके बारे में उसी समय श्री मनोहरराम कानि. 39 द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मोबाईल वाटसएप कोल कर अवगत करवाया गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से रवाना होकर आरोपित पटवारी के किराये के रहवासीय मकान के बाहर खड़े परिवादी श्री लतीफ खान के पास पंहुच उनसे पूर्व में दिया गया डिजीटल वोयस रिकार्डर प्राप्त कर स्वीच ओफ कर स्वयं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। जिस पर परिवादी ने मकान के अन्दर दांहिने तरफ स्थित एक कमरे की तरफ ईशारा कर बताया कि इस रूम में पटवारी चारपाई पर बैठा हैं, जिसने अभी-अभी मेरे से मेरे व मेरे भाई कायम खान के कृषि भूमि का कन्वर्जन करने की प्रक्रिया के दौरान मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तहसील में पेश करने व कन्वर्जन कार्यवाही में आगे सहयोग करने की ऐवज में मेरे से मांगकर 15000 रू. प्राप्त कर अपने पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के पीछे की बांयी साईड की जेब में रखे हैं। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी को साथ लेकर उनके द्वारा निशांदेह किये गये कमरे में पंहुचा तो सामने चारपाई पर चोकड़ीदार शर्ट व जीन्स-पैण्ट पहने एक व्यक्ति बैठा मिला, जिसकी तरफ ईशारा कर परिवादी ने बताया कि ये ही श्री संजयकुमार मीणा पटवारी हैं, जिस पर रूबरू गवाहान उक्त पटवारी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान का परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो उसने अपना परिचय श्री संजयकुमार मीणा पुत्र श्री शंकरलाल, जाति मीणा, उम्र 30 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम बनेठी, तहसील कोटपुतली, जिला कोटपुतली-बहरोड़, हाल पटवारी, पटवार मण्डल ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर, मोबाईल नं. के रूप में दिया। जिस पर आरोपी श्री संजयकुमार पटवारी को परिवादी श्री लतीफ खान को पहचानने व इससे अभी कुछ देर पहले रिश्वती राशि प्राप्त करने के संबध में पूछा तो आरोपित पटवारी ने परिवादी के हल्का क्षेत्र में पोस्टिंग होने से इनसे जान-पहचान होना एंव इनसे किसी भी प्रकार की रिश्वती राशि नहीं प्राप्त करना तथा पूर्व में परिवादी को स्वयं द्वारा दी गई उधार राशि आज अभी कुछ देर पहले परिवादी द्वारा उन्हें पुनः लौटाना बताया। जिस पर हाजिर परिवादी श्री लतीफ खान ने रूबरू गवाहान आरोपित के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए बताया कि उसके व उसके भाई श्री कायम खान के नाम से ग्राम ईटादा में स्थित कृषि भूमि खेत खसरा सं. क्रमशः 2262/2208 व 2260/2208 में से दोनों भाईयों द्वारा क्रमशः 0.3445 व 0.1082 हैक्टेयर भूमि कोमर्शियल कन्वर्जन कराने हेतु दिनांक 07.07.2026 को किये ओनलाईन आवेदन पर तहसीलदार धनाऊ ने मौका जांच कर रिपोर्ट हेतु दिनांक 14.07.2026 को पटवारी, हल्का ईटादा के नाम आदेश क्रमांक 288 व 287 जारी किया, जिस पर मैं उसी दिन पटवारी से मिला तो मेरे व मेरे भाई द्वारा कन्वर्ट करवाई जा रही भूमि का मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट पेश करने एंव कन्वर्जन की अग्रिम कार्यवाही में सहयोग करने की ऐवज में इन्होनें मेरे से रिश्वत की मांग की, जिस पर मैंने इसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही हेतु दिनांक 16.07.2026 को एसीबी बाडमेर में रिपोर्ट पेश की, जिस पर दिनांक 17.07.2026 को सत्यापन के समय पटवारी ने मेरे 20,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर इसमें से 5000 रू. एंव मेरे आवेदन से संबधित कागजात यहीं इस रूम पर मेरे से ले लिये, एंव शेष 15000 रू. आज के रोज लिया जाना तय किया गया। जिस पर आज अभी कुछ देर पहले मैं यहां इनके पास आया तो इन्होनें मुझे कहा कि आपका मैं काम कर दूंगा, आप पहले तहसील में श्रवण बाबू को सेट कर दो, चूंकि तहसीलदार एंव बाबू ने पहले ही मुझे कह दिया था कि यहां हम कोई पैसे नहीं लेते हैं एंव हमारे नाम से किसी को पैसे नहीं देने हैं, लिहाजा मैंने वैसे ही पटवारी को खुश करने के लिए कहा कि तहसील में मैं सब सेट कर दूंगा, आप मेरा काम कर दो, जिस पर उसने मेरे से मांगकर 15,000 रू. प्राप्त कर स्वयं के पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के पीछे की बांयी साईड की जेब में रख दिये, तब मैंने इस मकान से बाहर आकर गोपनीय ईशारा किया, जिस पर आप लोग यहां आ गये। परिवादी के उपरोक्त तथ्यों के संबध में आरोपित पटवारी को पुनः पूछा गया तो उन्होने कुछ नहीं बताया एंव नजरें नीचे किये हुए निरूत्तर रहा। जिस पर परिवादी की निशांदेही के अनुसार हमराह स्वतन्त्र गवाह श्री तनुराम वरिष्ठ सहायक से आरोपित पटवारी के पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के पीछे की बांये साईड की जेब में रखी रिश्वती राशि बरामद करने हेतु आरोपित की तलाशी लिरवाई जानी प्रारंभ की गई तो इसी दोरान आरोपित पटवारी ने अपने बांये से जीन्स-पैण्ट के पीछे की बांयी साईड की जेब में से पांच सौ-पांच सौ रूपये के नोटों की एक गड्डी निकालकर गवाह श्री तनुराम वरिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर दी, जिसकी गिनती इसी गवाह से करवाई गई तो पांच सौ-पांच सौ रू. 30 नोट, कुल राशि 15,000 रू. होने पाये गये, जिस पर स्वतन्त्र गवाह श्री प्रकाशचन्द वरिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर इन नोटों के नंबरो का मिलान करवाया गया तो 15,000 रू. सभी 30 नोटों के नंबर हुबहू फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये जाने से उक्त बरामदा रिश्वती राशि गवाह श्री तनुराम वरिष्ठ सहायक के पास सरक्षित रखवाई गई । तलाशी के दोरान आरोपित के हाथ में एक मोबाईल एप्पल कम्पनी का जिसमें एक सिम नं. /एयर टेल लगी हुई पाई गई, उक्त मोबाईल के आई.एम.ई.आई. नं. होना पाया गया। आरोपित द्वारा मोबाईल स्वयं का होकर दैनिक उपयोगार्थ अपने पास रखा होना बताया, जो ट्रेप बोक्स में सुरक्षित रखवाया गया, इस संबध में वक्त गिरफ्तारी आरोपित से पूछताछ कर पृथक से निर्णय लिया जायेगा। तत्पश्चात आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए आरोपित के मकान में रखे कैम्पर से एक बोतल में साफ पीने का पानी मंगवाकर इसे दो नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलासों में भरकर इसमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार

किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास में आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी के दांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का झांईदार गुलाबी हो गया, जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का झांईदार गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर कर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार तैयार रंगहीन घोल के दूसरे गिलास में आरोपित पटवारी के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर झांईदार गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने झांईदार गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल. एच.-1 व एल. एच.-2 अंकित किया गया। इसी प्रकार वक्त वाका आरोपित पटवारी के पहनी हुई जीन्स-पैण्ट जिसके पीछे के बांये साईड की जेब में से रिश्वती राशि बरामद होने से उक्त जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक हैं, लिहाजा आरोपित पटवारी के किराये मकान से ही उनके पहनने हेतु एक लोअर मंगवाकर पहनने हेतु आरोपित पटवारी को पहनने हेतु दिया जाकर उसके द्वारा वक्त वाका पहनी हुई जीन्स-पैण्ट को उतरवाया जाकर चैक किया गया तो यह ब्लेक कलर की होकर इस पर LEVI STRAUSS CO. का लोगो लगा हुआ हैं। इसके पीछे के बांये साईड की जेब का धोवन लेने हेतु एक नई साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास में पीने का साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार किया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया, जिस पर आरोपित के जीन्स-पैण्ट के पीछे बांये साईड की जेब को उलटवाकर इसे उक्त गिलास के रंगहीन घोल में डुबोकर दो-तीन बार निचोड़ कर धुलवाया गया तो गिलास के घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया। जिसे सभी हाजरीनों ने हल्का गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीषीयों में आधा-आधा भर सील मोहर कर चेपों पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी.-1 व पी.-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात उक्त जीन्स-पैण्ट के पीछे के बांये साईड की जेब को कुछ देर तक बाहर हवा/धूप में सुखाकर इन पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर इसे एक सफेद कपड़े की थेली में सील्ड मोहर कर इस पर पर सम्बंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी. अंकित किया गया। उक्त कार्यवाही की ओडियो-विडियोग्राफी श्री लालाराम कानि. नं. 328 से राजकीय ओडियो-विडियो रिकोर्डर में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड में करवाई गई, तत्पश्चात परिवादी के कार्य संबधित अर्थात भूमि कन्वर्जन की मौका रिपोर्ट हेतु परिवादी द्वारा वक्त सत्यापन दिनांक 17.07.2026 को आरोपित को दिये गये दस्तावेजात के बारे में पूछा तो गया तो इसके मौकास्थल रूम के सामने स्थित रूम में एक टेबल पर रखे कागजातों में दस्तावेजात के दो सेट जिसमें एक परिवादी श्री लतीफ खान का व दूसरा सेट उसके भाई श्री कायम खान का निकालकर पेश किये, जिनका अवलोकन किया गया तो आरोपित पटवारी द्वारा परिवादी एंव उसके भाई कायम खान की प्रस्तावित वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भूमि सम्परिवर्तन के संबध में जांच रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट एंव अन्य दस्तावेजात तैयार करना पैण्डिग पाया गया। अर्थात परिवादी एंव उसके भाई के प्रस्तावित भूमि सम्परिवर्तन संबधित पटवारी हल्का का समस्त कार्य आरोपित श्री संजयकुमार मीणा पटवारी के पास विचाराधीन होना पाया गया। जिस पर चूंकि उक्त दस्तावेजात परिवादी द्वारा अपने अग्रिम कार्य में आवश्यक होना बताया गया, जिस पर उक्त दस्तावेजात परिवादी श्री लतीफ खान के आवेदन सं. एलसी/2026-27/271456 पृष्ठ सं. 01 से 31 तक व परिवादी के भाई श्री कायम खान के आवेदन सं. एलसी/2026-27/271452 पृष्ठ सं. 01 से 31 तक के प्रथम व अन्तिम पृष्ठों पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल मिशल किये गये। तत्पश्चात चूंकि मौके पर बैठकर अग्रिम कार्यवाही करने की लाईट-फर्नीचर आदि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही नजदीक ही पुलिस थाना धनाऊ में पंहुच करने का निर्णय लिया जाकर आरोपित के किराये के आवासीय मकान को खाना तलाशी हेतु तालाबन्द करवाकर रिश्वती राशि पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक को बाद धोवन कार्यवाही हस्ब कायदा शामिल ट्रेप दल कर उसे उक्त तालाबन्द मकान की निगरानी हेतु मामुर कर दस्तियाब सुदा आरोपित श्री संजयकुमार मीणा पटवारी तथा परिवादी श्री लतीफ खान एंव मुर्तिबा मालखाना आईटम्स, रिश्वती राशि एंव आरोपित के जीन्स-पैण्ट के पैकेट आदि को हमराह लेकर मन् एएसपी मय हमराहियान जरिये प्राईवेट व सरकारी वाहन के मौकास्थल से रवाना होकर पुलिस थाना धनाऊ पंहुच थाने में हाजिर श्री पूनमचन्द हैड कानि. से थाने के कम्पयुटर कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही करने बाबत् मौखिक अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए आरोपित पटवारी से आवश्यक पूछताछ की जाकर स्वतन्त्र गवाह श्री तनुराम वरिष्ठ सहायक जिन्हें पूर्व में बरामदा रिश्वती राशि सुरक्षार्थ सुपुर्द की गई थी, से प्राप्त कर एक बार पुनः गिनती करवाई गई तो भारतीय मुद्रा 500-500 रू. के 30 नोट, कुल राशि 15000 रू. होने पाये गये। दूसरे गवाह श्री प्रकाशचन्द्र वरिष्ठ सहायक को पूर्व में मुर्तिब सुदा फर्द पेशकशी की प्रति देकर उक्त नोटों के नम्बरों का पुनः मिलान फर्द पेशकशी में अंकित नंबरो से करवाया गया तो सभी नोटों के नंबर हुबहु फर्द पेशकशी के मुताबिक पाये गये। उक्त राशि को एक सफेद कपडे़ की थेली में शील्ड मौहर कर थेली पर कार्यवाही व नोटों संबधी विवरण लिखकर इस पर मार्क-एम अंकित कर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। तत्पश्चात वक्त लेन-देन प्रयुक्त डिजीटल वोयस रिकार्डर को ओन कर सुना गया तो रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्ता की रिकोर्डिंग होना पाया गया, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त लेन-देन वार्तालाप हस्ब कायदा पृथक से

मुर्तिब की जायेगी। मौकास्थल पर आरोपित के किराये के आवासीय मकान की निगरानी हेतु पूर्व से ही श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक मौके पर तैनात हैं, उक्त आवास की हस्ब कायदा पृथक से खाना तलाशी ली जायेगी। आरोपित का सेवाकाल केवल पांच वर्ष का ही हैं, एंव अपने गांव स्थित पुश्तेनी घर में संयुक्त परिवार में निवासरत हैं, जहां इसके अल्प सेवाकाल एंव परिवार के संयुक्त निवास को देखते हुए खाना तलाशी नहीं लिये जाने का निर्णय लिया जाकर प्रकरण की कार्यवाही के संबध में उच्च अफसरान से हालात निवेदन किये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द रिश्वती राशि बरामदगी एंव हाथ धोवन कार्यवाही आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। तत्पश्चात कस्बा धनाऊ स्थित आरोपित श्री संजयकुमार मीणा पटवारी के हाईस्कूल के सामने स्थित किराये के आवासीय मकान की खाना तलाशी एंव घटना/बरामदगीस्थल के निरीक्षण हेतु मालखाना आईटम्स सुरक्षार्थ श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38 मय जाब्ता के जिम्मे कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री देवाराम निरीक्षक पुलिस, श्री सुराब खां हैड कानि., श्री मनोहरराम कानि. नं. 39, श्री लालाराम कानि. नं. 328 मय ओडियो/विडियो रिकोर्डर, दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रकाशचन्द व श्री तनुराम एंव दस्तियाब सुदा आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी, परिवादी श्री लतीफ खान के पुलिस थाना धनाऊ से रवाना होकर आरोपित के किराये के मकान पर पंहुचा, जहां पर निगरानी हेतु पूर्व से तैनात ब्यूरो जाब्ता के श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक मकान के बाहर उपस्थित मिले, जिन्हें हमराह लेकर मकान पर पंहुचे, तो मकान तालाबन्द मिला, जिसका ताला गवाह श्री तनुराम वरिष्ठ सहायक से ताला खुलवाया जाकर आरोपित व दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा आरोपित के स्टाफ श्री जोगाराम ऑफिस कानूनगो की मौजूदगी में आरोपित के आवास की हस्ब कायदा खाना तलाशी ली जाकर फर्द मुर्तिब की जाकर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल मिशल की गई। उक्त खाना तलाशी कार्यवाही की हमराह जाब्ता के श्री लालाराम कानि. नं. 328 से राजकीय ओडियो-विडियो रिकोर्डर से रिकोर्डिंग करवाई गई। बाद खाना तलाशी मन् एएसपी मय हमराहियान दस्तियाब सुदा आरोपित पटवारी को हमराह घटनास्थल पर पंहुच बमौजूदगी गवाहान के परिवादी श्री लतीफ खान की निशांदेही में घटना/बरामदगी स्थल का निरीक्षण कर नक्षा नजरी बरामदगीस्थल मुर्तिब कर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात परिवादी, दस्तियाब सुदा आरोपित पटवारी, दोनों गवाहान एंव ब्यूरो जाब्ता को हमराह लेकर मन् एएसपी मय हमराहियान रवाना होकर पुलिस थाना धनाऊ पंहुच तहसील कार्यालय धनाऊ के श्री हनुमानाराम पटवारी व श्री जोगाराम ऑफिस कानूनगो आवाज पहचानकर्ताओं को दिनांक 17.07.2026 को परिवादी श्री लतीफ खान व आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 20.07.2026 को उक्त दोनों के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता की रिकोर्डिंग वार्तालापों में आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी की आवाज पहचान करने हेतु रिकोर्डिंग वार्ताओं के महत्वपूर्ण अंष आरोपित के उक्त दोनों साथी कार्मिकगण को रूबरू मौतबिरान सुनवाये जाकर आरोपित पटवारी के आवाज की पहचान करवाई गई। उक्त कार्यवाही की हस्ब कायदा फर्द "आवाज पहचान आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी" मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री लतीफ खान व आरोपित श्री संजयकुमार मीणा पटवारी के मध्य दिनांक 17.07.2026 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग-सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वोइस रिकार्डर में इन्सट्रोल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB में रिकार्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री लतीफ खान के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 द्वारा कार्यालय लेपटोप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटोप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित पटवारी के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वोयस रिकार्डर में इन्सट्रोल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB में रिकोर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री मनोहर राम कानि. नं. 39 द्वारा हेश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकोर्डिंग हेतु डिजीटल वोयस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB को मूल ही डिजीटल वोयस रिकार्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क "डी" अंकित किया गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री लतीफ खान द्वारा की गई। इसी प्रकार परिवादी श्री लतीफ खान व आरोपी श्री संजयकुमार मीणा के मध्य दिनांक 20.07.2026 को रूबरू हुई रिश्वती राशि लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वोइस रिकार्डर में इन्सट्रोल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB में रिकार्ड सुदा को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के सुन-सुन कर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 द्वारा कार्यालय लेपटोप से मुर्तिब की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटोप के माध्यम से दो सीडी तैयार कर आई.ओ. व आरोपित पटवारी के लिए खुली रखी गई। डिजीटल वोयस रिकार्डर में इन्सट्रोल मेमोरी कार्ड SANDISK 08 GB में रिकोर्डिंग वार्ता की मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री मनोहरराम कानि. नं. 39 द्वारा हेश वैल्यु निकालकर उस पर परिवादी, गवाहान एंव अन्य संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द के संलग्न की गई। मांग सत्यापन वार्ता की रिकोर्डिंग हेतु डिजीटल वोयस रिकार्डर में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड

SANDISK 08 GB को मूल ही डिजीटल वोयस रिकार्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर रूबरू मौतबिरान मेमोरी कार्ड को कार्ड कवर में पैक कर इसे एक कागज के लिफाफे में डालकर मेमोरी कार्डयुक्त लिफाफे को एक कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड मौहर कर इस पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर मेमोरी कार्ड की शील्डयुक्त थेली पर मार्क "एल" अंकित किया गया। आरोपी व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री लतीफ खान द्वारा की गई। प्रकरण हाजा में उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पुत्र श्री शंकरलाल, जाति मीणा, उम्र 30 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम बनेठी, तहसील कोटपुतली, जिला कोटपुतली-बहरोड़, हाल पटवारी, पटवार मण्डल ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) प्रमाणित पाया जाने से प्रथमतः आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी को इनके द्वारा किए गए जुर्म से आगाह कर इसे ट्रेपकर्ता अधिकारी के नाम, पदनाम से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 35 बी.एन.एस.एस. 2023 के प्रावधानों के तहत जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी पर संबधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। गिरफ्तारी की सूचना आरोपित के कहेनुसार इसके स्टाफकर्मी श्री जोगाराम ऑफिस कानूनगो, तहसील कार्यालय धनाऊ को रूबरू दी गई, साथ ही वक्त बरामदगी कार्यवाही आरोपित के पास प्राप्त मोबाईल मय सिम के आरोपित के कहेनुसार श्री जोगाराम ऑफिस कानूनगो को सुपुर्द किया गया। गिरफ्तारी के प्रावधानों से संबधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35 के अन्तर्गत भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आरोपी का गिरफ्तारी मीमो एंव चैक लिस्ट चैक लिस्ट अन्तर्गत धारा 35(1)B(II) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा गिरफ्तारी के आधार की सूचना, अन्तर्गत धारा 47(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत हस्ब कायदा पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वती राशि की बरामदगी एंव हाथ धोवन कार्यवाही तथा आरोपित के कस्बा धनाऊ में स्थित किराये के आवासीय मकान की खाना तलाशी कार्यवाही की राजकीय ओडियो-विडियो रिकोर्डर में लगे राजकीय मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB में श्री लालाराम कानि. नं. 328 के माध्यम से ओडियो-विडियो रिकोर्डिंग करवाई गई थी, श्री लालाराम कानि. के माध्यम से ही उक्त मेमोरी कार्ड SANDISK 32 GB में रिकोर्डिंग खाना तलाशी कार्यवाही के ओडियो-विडियो क्लिप को अलग से दो SANDISK 08 GB मैमोरी कार्ड में काॅपी कर पृथक से सुरक्षित रखा गया, जिसमें से एक मैमोरी कार्ड आईन्दा खाना तलाशी फर्द के साथ माननीय विशिष्ठ न्यायालय भ्र.नि.अ. जोधपुर सं. 01 के समक्ष वास्ते अग्रिम कार्यवाही/सूचनार्थ पेश किया जायेगा तथा एक मैमोरी कार्ड खाना तलाशी जांच हेतु कार्यालय हाजा में सुरक्षित रखा जायेगा। ओडियो-विडियो रिकोर्डिंग के मूल मैमोरी कार्ड को वास्ते रिकार्ड एंव आई.ओ. के सहयोगार्थ राजकीय ओडियो-विडियों रिकोर्डर से सुरक्षित हालत में निकालकर खुली हालत सुरक्षित रखा जाकर शामिल मिशल किया गया। उपरोक्तानुसार मौका कार्यवाही सम्पन्न कर परिवादी श्री लतीफ खान को बमुकाम धनाऊ से फारिक कर मन् नरेन्द्रकुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री देवाराम निरीक्षक पुलिस, श्री सुराब खां हैड कानि. 97, श्री सोहनराम हैड कानि. नं. 33, श्री मिश्रीमल हैड कानि. नं. 38, श्री लालाराम कानि. 328, श्री मनोहर कानि. नं. 39, श्री बांकाराम कानि. 584, श्री सहदेवसिंह कनिष्ठ सहायक व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री प्रकाशचन्द वरिष्ठ सहायक के गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी को हमराह लेकर कार्यवाही में मुर्तिबा पत्रावली मय मालखाना आईटम्स यथा आर.एच.-1, आर. एच.-2, एल.एच.-1, एल.एच.-2, पी.-1, पी.-2, सील्ड सुदा रिश्वती राशि 15000 रू. का पैकेट मार्क-एम, बरामदगीस्थल से संबधित वक्त वाका आरोपित पटवारी के पहनी हुई जीन्स-पैण्ट का सील्डयुक्त पैकेट मार्क-पी., वार्ताओं एंव ओडियो-विडियो रिकोर्डिंग के मेमोरी कार्ड एंव डब सीडियां एवं डिजिटल वोइस रिकोर्डर, लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बोक्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री के राजकीय वाहन बोलेरों नं. आर.जे. 14 यूसी 9364 चालक कानि. पवनकुमार एवं प्राईवेट वाहन से रवाना पुलिस थाना धनाऊ से रवाना होकर एसीबी ओपी बाड़मेर पंहुचा, उपरोक्त वर्णित मालखाना आईटम्स श्री सुराब खां हैड कानि. 97 प्रभारी मालखाना को सुपुर्द कर हस्ब कायदा जमा मालखाना करवाया गया। आरोपित श्री संजयकुमार मीणा पटवारी को श्री लालाराम कानि. मय जाब्ता की निगरानी में सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत की गई। प्रकरण हाजा में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पटवारी, पटवार हल्का ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद् का दुरूपयोग कर भ्रष्ट व अवैध तरीके से परिवादी श्री लतीफ खान व उसके भाई श्री कायम खान के नाम से ग्राम ईटादा में स्थित कृषि भूमि खेत खसरा सं. क्रमशः 2262/2208 व 2260/2208 में से दोनों भाईयों द्वारा क्रमशः 0.3445 व 0.1082 हैक्टेयर भूमि कोमर्शियल कन्वर्जन कराने हेतु दिनांक 07.07.2026 को किये ओनलाईन आवेदन पर तहसीलदार धनाऊ से मौका जांच कर रिपोर्ट हेतु दिनांक 14.07.2026 को आप पटवारी, हल्का ईटादा के नाम आदेश क्रमांक 288 व 287 जारी करने के फलस्वरूप परिवादी व उसके भाई द्वारा कन्वर्ट करवाई जा रही भूमि का मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट पेश करने एंव कन्वर्जन की अग्रिम कार्यवाही में सहयोग करने की ऐवज में दिनांक 17.07.2026 को आरोपित पटवारी द्वारा वक्त सत्यापन परिवादी से 20,000 रू. रिश्वती राशि की मांग कर इसमें से 5000 रू. प्राप्त कर शेष 15000 रू. दिनांक 20.07.2026 को लिया जाना तय किया गया। जिस पर दिनांक 20.07.2026 को वक्त लेन-देन हाई स्कूल धनाऊ के सामने आरोपित पटवारी द्वारा अपने किराये के आवासीय मकान पर परिवादी श्री लतीफ खान से शेष रिश्वती राशि 15,000 रू. प्राप्त कर स्वयं के पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के पीछे की बांयी साईड की जेब में रखी गई, जिस पर

आरोपित को मौकास्थल से ही उक्त रिश्वती राशि सहित रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वती राशि 15000 रू. आरोपित पटवारी के वक्त वाका पहनी हुई जीन्स-पैण्ट के पीछे की बांयी साईड की जेब में से रूबरू मौतबिरान बरामद की गई। जिससे आरोपित पटवारी द्वारा अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) का अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित हैं। लिहाजा गिरफ्तार सुदा अभियुक्त श्री संजयकुमार मीणा पटवारी को आज के रोज ही माननीय सक्षम न्यायालय के समक्ष जे.सी. हेतु पेश किया जायेगा। अतः आरोपी श्री संजयकुमार मीणा पुत्र श्री शंकरलाल, जाति मीणा, उम्र 30 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम बनेठी, तहसील कोटपुतली, जिला कोटपुतली-बहरोड़, हाल पटवारी, पटवार मण्डल ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर के विरूद्ध अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संषोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें। भवदीय (नरेन्द्रकुमार)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरेन्द्र कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाडमेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संजय कुमार मीणा पुत्र श्री शंकर लाल, जाति मीणा, उम्र 30 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम बनेठी, तहसील कोटपुतली, जिला कोटपुतली-बहरोड़, हाल पटवारी, पटवार मण्डल ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मनीष चौधरी, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू-जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 373 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1223-26 दिनांक 21.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- जिला कलक्टर, बाड़मेर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बाड़मेर । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MANISH CHAUDHARY **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 21/07/2026 20:37:44

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)